न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 41/2018

मुकेश कुमार पुत्र गोपीराम निवासी वार्ड नं. 43 धानका मोहल्ला कृष्णा टॉकिज रोड, घांदीराम शॉप श्रीगंगानगर। —— अपीलार्थी

बनाम

1. भारत संघ, डाक तार मंत्रालय नई दिल्ली जरिये सचिव।
2. डाक अधीक्षक, डाकघर श्रीगंगानगर मण्डल श्रीगंगानगर। ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर श्रीगंगानगर दिनांक 13.03.2018

उपस्थितिः–

श्री राजेन्द्र ग्रोवर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री महावीर धारणिया, अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय दिनांक 18.06.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 13.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र दिनांक 20.12.2017 खारिज किया है एवं धारा 4 के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्र बहाल रखा गया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मामला जोधपुर में सीबीआई न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलांट के घर सीबीआई टीम ने जो तलाशी ली गई थी उसमें ऐसा कोई दस्तावेज या धन प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी ने कोई गबन किया हो। उपरोक्त प्रकरण में विभागीय जांच में अन्य कर्मचारियों को चार्जशीट मिली उनमें से कुछ कर्मचारियों से रिकवरी भी हुई। अपीलांट को कोई चार्जशीट नहीं दी गई और न ही अपीलांट को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। अपीलांट ने किसी प्रकार का गबन

18/6/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नहीं किया। विभागीय जांच में 15 कर्मचारी दोषी है न कि अपीलांट अकेला। अपीलांट द्वारा जो अधी. न्यायालय में कथन किये थे उस पर अधी. न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर को पक्षकार नहीं बनाया है। अधी. न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वह उचित है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह निर्विवाद है कि प्रकरण वसूली से सम्बन्धित है एवं अपील मीमों का सार है कि वसूली अकेले अपीलांट से किया जाना उचित नहीं है। अपितु इसकी जिम्मेदारी के लिए अपीलांट व उच्च अधिकारी भी जिम्मेदार है। अतः यह सत्यापित है कि वसूली तो की जावे किन्तु अपीलांट से न की जाकर जो-जो व्यक्ति इसके लिए भागीदार हैं उनसे की जावे। यह विकल्प अपीलांट का खुले रखते हुए कि अपने इस कथन का ज्ञापन वसूली अधिकारी को पेश करे, साथ ही प्रकरण में विवाद सी.बी.आई. न्यायालय में लम्बित होना प्रमाणित है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी यह आपत्ति जाहिर की कि प्रमाणपत्र जारीकर्ता जिला कलक्टर को पक्षकार नहीं बनाया है जो अपील में नुक्स है। उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि प्रकरण में वसूली राशि वसूल करने योग्य है तथा प्रकरण सी.बी.आई. न्यायालय में लम्बित होना एवं प्रमाण पत्र जारीकर्ता जिला कलक्टर को पक्षकार नहीं बनाना अपील खारिज करने का पर्याप्त आधार होने से उक्तानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर